फोन सं.022-22001050
फॅक्स सं. 022-2004693

**भारत सरकार**
**वस्त्र मंत्रालय**
**वस्त्र आयुक्त का कार्यालय**
**पो.बै.सं.11500,मुंबई-400 020.**
**Email: textilec@gmail.com**

सं.28(19)/2008/मॉ.अनु./ दिनांक 28/01/2009

**प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना(प्रोउनियो)**
**(01/04/2007 से 31/03/2012)**

**परिपत्र सं.8**

**(2008-2009 श्रृंखला)**

**विषय - प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ।**

**1. अंतर - मंत्रालयीन संचालन समिति ( अं.मं.सं.स.) की दिनांक 19 जनवरी , 2009 को नई दिल्ली में संपन्न प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय**

**(i) आशोधित प्रौउनियो के सरकारी संकल्प में उल्लिखित मामलों पर पुनर्गठित अं.मं.सं.स. के निर्णय**

**क. आशोधित प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प का पैरा 6xi में यह उल्लेख है कि कैड, कैम तथा डिजाइन स्टुडियो के लिए मशीनें तथा अन्य योजना के दिशा निर्देशों के पृथक शीर्षक में शामिल की जाएगी जिसकी वित्तीय सीमा अं.मं.सं.स. द्वारा निश्चित की जाएगी।**

अं.मं.सं.स. ने यह उल्लेख किया कि कैड कैम तथा डिजाइन स्टुडियो के लिए मशीनें तथा अन्य का समावेश पहले ही आशोधित प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट एम में अलग से किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया कि वस्त्रोद्योग के वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय सीमा अभी नहीं लगाई जाए, यद्यपि इसका निर्णय बाद में लिया जाए।

**ख. आशोधित प्रौउनियो के सरकारी संकल्प के पैरा 4.2 क (i) में उल्लेख है कि कॉटन रिंग कताई सिस्टम की पात्र एम ई एस का, नई इकाइयां, इकाइयों का क्षमता**

**विस्तारण एवं आधुनिकीकरण को अनुमति है। एमईएस का निर्णय अं.मं.सं.स. द्वारा लिया जाएगा।**

अं.मं.सं.स. ने निर्णय लिया कि वर्तमान में मौजूद कताई इकाइयां आधुनिकीकरण/विस्तारण के लिए प्रौउनियो के अंतर्गत समाविष्ट की जा सकती हैं, बशर्ते कि प्रौउनियो के मापदण्डों के अनुसार पुराने तथा अप्रचलित तकुओं को नष्ट किया जाए (प्रौउनियो मापदण्डों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने रिंग फ्रेम्स तथा 20 वर्ष से अधिक पुरानी बैकअप मशीनें/उपकरणों को अनिवार्यत: नष्ट किया जाना चाहिए।) विद्यमान बुनाई/ निटिंग/प्रोसेसिंग/गारमेंटिंग/मेड-अप इकाइयां प्रौउनियो के अंतर्गत कताई क्षमता किसी एमईएस मापदण्डों के बिना स्थापित कर सकती हैं। यद्यपि, स्टैन्ड अलोन नई कताई इकाइयों के एमईएस के संदर्भ में, इस मद पर टीएएमसी में पुन: चर्चा होनी चाहिए।

ग. **आशोधित प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के पैरा 3.4 में यह उल्लेख है कि प्रौउनि योजना में भाग लेने वाली इकाइयों के संघ, न्यास अथवा सहकारी सोसायटी की अपनी सामान्य आधारभूत सुविधाओं में निवेश, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सीमा तक, प्रौउनियो आधुनिकीकरण में शामिल होने वाली प्रौउनियो पात्र मशीनों की लागत के केवल 25% तक निम्नलिखित समाविष्ट है, जिसकी अधिकतम वित्तीय सीमा अं.मं.सं.स. द्वारा निर्धारित की जाएगी।**

1. जनोपयोगी सेवाएं अर्थात् जल आपूर्ति, विद्युत उपकेन्द्र आदि
2. कॉमन कैटिव पॉवर जनरेशन (अपारंपारिक स्त्रोंतों के साथ)
3. कॉमन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट

अं.मं.सं.स. ने नोट किया कि भाग लेने वाले इकाइयों की प्रौउनियो पात्र मशीनों की लागत की 25% की सीमा का उल्लेख पहले ही आशोधित प्रौउनियो में किया गया है। तथा यह निर्णय लिया गया कि वस्त्रोद्योग के वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर वित्तीय सीमा अभी नहीं लगाई जाए, यद्यपि इसका निर्णय बाद में लिया जाए।

**(ii) प्रौउनियो के अंतर्गत अन्य राष्ट्रीयीकृत बैंकों को नोडल बैंक के रूप में नामित करना एवं सहयोजित निजी क्षेत्र व्यावसायिक बैंकों द्वारा लघु उद्योग मामलों की पात्रता का निर्धारण:**

**क.** अं.मं.सं.स. ने निम्नलिखित 25 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की व्यावसायिक बैंकों को नोडल बैंकों के रूप में नामित किया :

| अनु. क्र. | नोडल बैंकों का नाम | अनु. क्र. | नोडल बैंक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | इलाहाबाद बैंक | 14. | एक्सिम्स बैंक |
| 2. | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 15. | आई एन जी वैश्य बैंक लि. |
| 3. | कॉर्पोरेशन बैंक | 16. | करूर वैश्य बैंक लि. |
| 4. | देना बैंक | 17. | साउथ इंडियन बैंक लि. |
| 5. | ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 18. | तमिलनाडू मर्कन्टाइल बैंक लि. |
| 6. | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 19. | कैथलिक सिरियन बैंक लि. |
| 7. | सिंडीकेट बैंक | 20. | फेडरल बैंक लि. |
| 8. | यूको बैंक | 21. | इन्दूसिंध बैंक |
| 9. | युनायटेड बैंक ऑफ इंडिया | 22. | जम्मू एण्ड कश्मिर बैंक लि. |
| 10. | विजया बैंक | 23. | कर्नाटक बैंक लि. |
| 11. | जीवन बीमा निगम | 24. | सिटी युनियन बैंक |
| 12 | राजस्थान स्टेट इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन | 25. | लक्ष्मी विलास बैंक लि. |
| 13. | हरियाणा स्टेट फाइनान्शियल कार्पो. | | |

ये नोडल बैंक अपनी शाखाओं के प्रौउनियो मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक नोडल अधिकारी के अंतर्गत स्वतंत्र प्रौउनियो प्रकोष्ठ स्थापित करेंगी।

सिडबी के सहयोजित निजी क्षेत्र के व्यावसयिक बैंक प्रौउनियो के अंतर्गत लघु उद्योग मामलों की पात्रता का निर्धारण करेंगे तथा सिडबी के माध्यम से वस्त्र आयुक्त कार्यालय को दावे प्रस्तुत करेंगें। ऐसी बैंकों के लिए निधि सिडबी के माध्यम से मिलता रहेगा।

**(iii) 10% पूंजी सबसिडी के लिए बुनाई हेतु वूल कार्बनाइजिंग लाइन/प्लान्ट एवं पोजिशन ड्रिवन कम्प्रेसर स्टैन्ड असेम्ब्ली का समावेश**

**परिशिष्ट- जे-70** वूल कार्बनाइजिंग लाइन/प्लान्ट

**परिशिष्ट-के-सी-8** बुनाई के लिए पोजिशन ड्रिवन कम्प्रेसर स्टैन्ड असेम्ब्ली

**(iv) प्रौउनियो के अंतर्गत दावों का प्रस्तुतीकरण :**

**क** i प्रौउनियो के अंतर्गत उन इकाइयों को लाभ प्रदान नहीं किये जाएंगे, जिन्हें 01 अप्रैल,2008 को या उसके बाद ऋण मंजूर किए गए हो किन्तु ऋणद अभिकरणों द्वारा ऋण मंजूरी की तिथि से एक वर्ष के भीतर विहित तिमाही प्रपत्र I,II,तथा III में वस्त्र आयुक्त को प्रतिपूर्ति /पूंजी सबसिडी के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता।

ii जिन इकाइयों को ऋणद अभिकरणों से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती, वे ऋण मंजूर होने के पश्चात् 10 वें माह के दौरान वस्त्र आयुक्त को अपील कर सकती हैं। अपील वेबसाइट http://www.txcindia.com/appeal.asp के माध्यम से की जाए।

iii. उदाहरणार्थ 1 अप्रैल,2008 से 30 जून,2008 की अवधि के दौरान मंजूर ऋण के लिए दावे ऋणद अभिकरणों द्वारा जून,2009 को समाप्त तिमाही के प्रपत्रों में समाविष्ट किए जाए। ऋणद अभिकरणों द्वारा अपर्याप्त प्रतिक्रिया के मामले में अपील माह अप्रैल,2009 के दौरान की जाए।

**ख.**i. जिन इकाइयों को 1अप्रैल,2007 से 31 मार्च,2008 की अवधि के दौरान ऋण मंजूर किए गए हैं, किन्तु ऋणद अभिकरण प्रतिपूर्ति/पूंजी सबसिडी के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय को जून,2009 को समाप्त तिमाही तक विहित तिमाही प्रपत्र I,II,तथा III में दावा प्रस्तुत नहीं करती तो उन्हें प्रौउनियो के अंतर्गत लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे ।

ii जिन इकाइयों को ऋणद अभिकरणों से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती, वे माह अप्रैल, 2009 के दौरान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को अपील कर सकती हैं। अपील वेबसाइट http://www.txcindia.com/appeal/appeal.asp के माध्यम से की जाए।

**ग.** जो इकाइयां http://www.txcindia.com/appeal/appeal.asp के माध्यम से अपील करती हैं, उन्हें ऑन लाइन एक छोटा प्रपत्र भरने की आवश्यकता है, जिसमें इकाई का नाम, परियोजना की लागत, ऋण मंजूरी की तिथि, ऋणद अभिकरण का नाम तथा पता जैसे विवरण भरने हैं, जिसकी पावती

अपने आप उन्हें तुरंत मिल जाएगी, जिसका मुद्रण किया जा सकता है तथा यह प्रति इकाई के अभिलेख हेतु रखी जा सकती है। अपील की प्राप्ति के पश्चात्, वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा उनके मामले संबंधित ऋणद अभिकरण को प्रौउनियो के अंतर्गत समाविष्ट करने हेतु भेजे जाएगें।

V. **मूल आवधिक ऋण के भुगतान की अवधि, प्रौउनियो में पहले के अनुमत दो वर्ष की विलंबन अवधि के अतिरिक्त बढ़ाना**

अ.मं.सं.स. ने उक्त सुझाव को सहमति दर्शाई बशर्ते कि यह प्रौउनियो के अंतर्गत 10 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि में हो जिसमें 2 वर्ष की विलंबन अवधि/ कार्यान्वयन अवधि समाविष्ट है तथा बशर्ते कि इसे नोडल अभिकरण से अनुमोदन प्राप्त हो एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो।

VI. **लाभार्थी को निधि का आबंटन एवं बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रौउनियो सहायता का विवरण.**

ऋणद अभिकरणों द्वारा प्रौउनियो लाभार्थियों को निधि का वितरण सरकार द्वारा निधि की प्राप्ति के पश्चात् एक माह के भीतर किया जाना चाहिए एवं ऋणद अभिकरणों द्वारा उनके सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थानों को निधि का वितरण 15दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

2. **सिडबी द्वारा बैंकों का सहयोजन :**

सिडबी ने प्रौउनियो के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के लिए दि कराड़ अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लि. को सहयोजित किया है।

प्रौउनि योजना में उपरोक्त आशोधन/स्पष्टीकरण/प्रक्रिया को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

**(श्रीमती शशी सिंह)**
**संयुक्त वस्त्र आयुक्त**

**प्रति,**

1. **सभी नोडल अभिकरण /नोडल बैंक / सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थान ।**
2. **सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)**
3. **सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्री**

4. **विकास आयुक्त (हथकरघा)**
5. **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)**
6. **पटसन आयुक्त**
7. **सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड**
8. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक**
9. **सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक**
10. **सभी निर्यात संवर्धन केन्द्रों के कार्यपालक निदेशक ।**
11. **प्रमुख समाचार एजेंसी**
12. **वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी**
13. **सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई**
14. **प्रभारी अधिकारी, सभी विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र,**

इस अनुरोध है साथ उपरोक्त प्रौउनियो के संशोधनों/परिवर्तनों का समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/आवधिको इत्यादि में प्रकाशित कर सभी संबंधितों की जानकारी में लाए।

**प्रतिलिपि:**

1. **आईएमएससी तथा टीएएमसी के सभी सदस्य ।**
2. **डॉ.जे.एन.सिंह, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय,नई दिल्ली -110 011**
3. **श्री बी.एन.सिन्हा, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -110 011**
4. **श्रीमती अनिता पूरी , अपर सचिव , वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -110 011**

**(श्रीमती शशी सिंह)**
**संयुक्त वस्त्र आयुक्त**